


40
23-7-13

293

169

माननीय अध्यक्ष महोदय, म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प रीवा म०प्र० प्र.क्रमांक R. 3442-4/13



Rs.
20/-

रिलायन्स सीमेंट कंपनी प्रा०लिमि०(जो कि पूर्व में रिलायंस सीमेंटेशन प्रा०लि० के नाम से जाना जाता था।) जिसका कि रजिस्टर्ड कार्यालय एच० ब्लाक प्रथमतल धीरू भाई अंबानी नालेज सिटी, नवी मुम्बई 400710 महाराष्ट्र एवं स्थानीय कार्यालय साक्षी होटल के सामने एन०एच०-7, कटनी रोड मैहर जिला सतना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी श्री सत्यवीर सिंह तैवर, जनरल मैनेजरनिगराकार/अनावेदक

बनाम

1. श्री साहबलाल आत्मज श्री कोदूलाल कुर्मी उम्र-45 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम इटहरा तह०/थाना मैहर जिला सतना म०प्र०गैरनिगराकार/आवेदक
2. म०प्र० शासन जरिये तहसीलदार तह० मैहर जिला सतना म०प्र०.....गैरनिगराकार

निगरानी खिलाफ आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल कुसेड़ी कार्यवाही सीमांकन उनके मामला क्र०-01/अ12/2012-13 आदेश दिनांक 23/01/2013

कार्यवाही सीमांकन बावत् आराजी नं०-230/1 रकवा 1.239हे० एवं आराजी नं०-243/1 रकवा 0.021हे० स्थित मौजा इटहरा तह० मैहर जिला सतना रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

क्रमशः.....2

Sanwar

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....

R:3442-II/13

जिला.....

सतना

रिलायन्स लिमिटेड कंपनी

विरुद्ध

साहबबाल

1

2

3

16-1-19-

1. आवेदक की ओर से श्री..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त..... तहसील..... के प्रकरण क्रमांक..... में पारित आदेश दिनांक..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... को कलेक्टर..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।


सदस्य